न्यायालय अति. जिला कलक्टर,पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 2/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
भंवरलाल पुत्र पूना जाति सिरवी निवासी करणी माता स्कूल के सामने, रायपुर जिला पाली		1. सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर. जिला पाली 2. श्री राजेन्द्र व्यास पुत्र गणपतलाल जाति ब्राहम्ण निवासी लोढो का बास, रायपुर जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
3. रेस्पोडेन्ट सं.2 स्वयं उप.

--: निर्णय :–

दिनांक :– 18/9/2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रायपुर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 13/2014 सरकार बनाम भंवरलाल निर्णय दिनांक 12.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तलब कर अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब कर बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने अपील में अकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा मौजा रायपुर 1 के खसरा नम्बर 756 रकबा 0.05 है. किस्म गै.मु.रास्ता की भूमि पर संवत 2071 में मकान बनाकर अतिकमण करने पर प्रकरण दर्ज कर बेदखली के आदेश दिनांक 12.12.2014 को दिये गये। अपीलाधीन आदेश विधि,तथ्यो एवं रेकर्ड के विरूद्व पारित किया गया है। अपीलान्ट ने जबाब पेश कर निवेदन किया कि उसका रास्ते की भूमि पर कोई अतिकमण नहीं है। मौके पर रास्ता चालू है हल्का पटवारी ने पैमाईश रिपोट्र गलत प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट के समाक्ष सीमांकन नहीं किया गया। विवादित भूमि का सेटलमेंट विभाग से कमेटी गंठित कर पैमाईश हेतु निवेदन किया गया। पटवारी की रिपोर्ट को ही आधार मानकर बेदखली के आदेश दिये गये है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 744/13 के पास रास्ता की भूमि आई हुई है। अपीलान्ट का अपनी खातेदारी भूमि में मकान बना हुआ है। पटवारी हल्का ने रास्ते के पास की भूमि खसरा नम्बर 757,1272,1273,1274 की पैमाईश उसकी गैर माजूदगी में की गई है। पटवारी ने अपीलान्ट का रास्ते की भूमि पर अतिकमण गल्त बताया है। सेटलमेंट विभाग के दल द्वारा सर्वे करने पर ही स्पष्ट हो पायेगा कि अपीलान्ट का रास्ते की भूमि पर अतिकमण है या नहीं। विवादित रास्ता रायपुर से कुशालपुरा जाने का रास्ता है प्रार्थी अपीलान्ट की भूमि के अग्र भाग पर व सामने की भूमि के खातेदार द्वारा अपनी धोरा पाली व पक्की दीवार निकाली हुई है तथा रास्ता पूर्व की भांति आज भी मौके पर स्थित है उक्त कच्चे रास्ते की भूमि जो गांवाई रास्ता है तथा मुख्य सडक अलग निकली हुई है। अपीलान्ट द्वारा सेटलमेंट विभाग से सर्वे कराने के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा उसकी गैर मौजूदगी में पैमाईश कर सही रिपोर्ट पेश नहीं की है। पारित निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। अपील अपीलान्ट स्वीकार करावे।

सरकारी पैरोकार ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा मौजा रायपुर 1 के खसरा नम्बर 756 रकबा 0.05 है. किस्म गै.मु.रास्ता की भूमि पर संवत 2071 में मकान

अति० जिला कलेक्टर, पाली

बनाकर अतिक्रमण करने पर प्रकरण दर्ज कर बेदखली के आदेश दिनांक 12.12.2014 को विधिवत दिये गये। अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि मकान उसकी खातेदारी में बनाया हुआ है,रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। तहसीलदार रायपुर ने पटवारी हल्का से रास्ते के पास की भूमि खसरा नम्बर 757,1272,1273,1274 की पैमाईश करवायी गई। पटवारी ने अपीलान्ट का रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण होना बताया। पटवारी हल्का की पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण होने से बेदखली के आदेश विधिवत पारित किये है। अपील खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी रायपुर के आदेश पर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा खसरा नम्बर 575, 1272, 1273 व 1274 की भूमि का माप चौक किया गया। माप चौक के समय अपीलाण्ट स्वयं उपस्थित था। उक्त माप चौक से यह स्पष्ट हो गया कि अपीलाण्ट ने रास्ते की भूमि में अतिक्रमण किया है। मौका फर्द रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित है कि खसरा नम्बर 756 गै0मु0 रास्ता है, जहां पर खसरा नम्बर 744 के खातेदारों के मकानात बने हुए है। अपीलाण्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर मकान निर्माण कर दिया है, जिसके कारण ग्रामीणों ने रास्ते के समीप स्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के खातेदारी भूमि में से आवागमन आरम्भ कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट ने अपनी अपील में यह कथन किया कि उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि पर स्थित मकान की भूमि एवं अन्य पडौस की भूमि की पैमाईश सेटलमेन्ट विभाग से कराने बाबत कथन किये, जबकि उसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में अपनी भूमि का माप कराने बाबत कोई कथन नही किया। अपीलाण्ट ने मात्र रास्ते की भूमि का सेटलमेन्ट विभाग से पैमाईश कराने का निवेदन किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज किया कि गैर सायल चाहे तो अपनी भूमि का सीमांकन सेटलमेन्ट विभाग में कराने हेतु स्वयं के स्तर से स्वयं के खर्चे से सेटलमेन्ट विभाग में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा सेटलमेन्ट विभाग के समक्ष किसी प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया। अपीलाण्ट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आया है। अपीलाण्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार रायपुर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रकरण दर्ज कर विधिवत सुनवाई करने के पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट के रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने पर ग्रामीणों द्वारा रास्ते के समीप स्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि में से आवागमन आरम्भ कर दिया है, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक हकूक प्रभावित हो रहे है। तहसीलदार रायपुर द्वारा जैर अपील आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलान्ट द्वारा मौजा रायपुर 1 के खसरा नम्बर 756 रकबा 0.05 है. किस्म गै.मु.रास्ता की भूमि पर संवत 2071 में मकान बनाकर अतिक्रमण करने पर प्रकरण दर्ज कर बेदखली के आदेश दिनांक 12.12.2014 को दिये गये। अतिक्रमित भूमि के पास अपीलान्ट की खातेदारी भूमि स्थित है, जिसकी पैमाईश की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर के राजस्व वाद संख्या 16/2012 में पारित आदेश की पालना में गठित टीम द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उस मौका रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 2 की पक्ति संख्या 4 में यह अंकित किया गया है कि "बिन्दु संख्या G से C के समान्तर खसरा नम्बर 756 गै0मु0 रास्ता है, जहां पर खसरा नम्बर 744 के खातेदारों के मकानात् बने हुए है।" उक्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 756 में जो रास्ता है, वह खसरा नम्बर 757 में से होकर निकल रहा

अति० जिला कलेक्टर, पाली

है, जिसे नक्शा में डोटेड लाईन से दर्शाया गया है, जो खसरा नम्बर 756 में होते हुए खसरा नम्बर 757 को ओवरलेप करते हुए खसरा नम्बर 846 के सम्मिलित हो रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण अवश्य हुआ है। इस कारण वर्तमान में मौके पर खसरा नम्बर 757 में से आवागमन किया जा रहा है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की सह खातेदारी भूमि है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में रास्ते की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है। इस प्रकार रास्ते की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना ही न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2014 सरकार बनाम भंवरलाल में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/01/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली